

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा करने पर आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10 / 20 / 30 / वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम / द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे / पे-लेवल
1	मंजू व्यास, राबाउमावि, बम्बा, जोधपुर	से०नि० प्रधानाचार्य	17-01-1960	20-07-1988	30 YEAR	19-07-2018	20-07-2018	L-17
2	विनोद कुमार शर्मा, राउमावि, शाहजहापुर जिला अलवर	से०नि० प्रधानाचार्य	15-10-1960	13-09-1985	30 YEAR	12-09-2015	13-09-2015	6800/-


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3-4/एसीपी/2020

दिनांक : 15.01.2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर